भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
सैन्य कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 827
19 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए

सशस्त्र बलों में कोविड -19 के मामले

827. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बलों में पुष्टि किये गये कोविड-19 मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) सशस्त्र बलों में अब तक कोविड-19 के कारण हुई मौतों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) सेना की बैरकों में वायरस के फैलने को रोका जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) सशस्त्र बलों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को संवर्धित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या ये चिकित्सा सुविधाएं कोविड-19 मरीजों को संभालने के लिए साजो-सामान से सुसज्जित हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इनका स्तरोनयन करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क): सशस्त्र सेनाओं के सेवारत कार्मिकों के मध्य कोविड-19 के पुष्ट मामलों की कुल संख्या 22,353 है।

(ख): आज की तारीख तक, सशस्त्र सेनाओं में कुल 41 मौतें हुई हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कोविड-19 के कारण हो सकती हैं।

(ग): यह सुनिश्चित करने के लिए कि संक्रमित व्यक्ति कहीं प्रभावित होने वाले व्यक्तियों तक संक्रमण न फैला दें, ऐसे सभी कार्मिक जो छुट्टी से लौट रहे हैं अथवा स्थायी तैनाती के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, को 14 दिनों तक अनिवार्य क्वारण्टाइन अवधि बिताना अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति में लक्षण पैदा हो रहे हैं, उनकी तुरन्त जांच की जाती है और पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अलग रखा जाता है। इन पुष्ट मामलों के अधिक जोखिम**पूर्ण** संप**र्कों** का पता लगाया जाता है और जो मापदण्डों के अनुसार पाए जाते हैं उन्हें

अलग रखा जाता है और 7-10 दिन के बीच जांच की जाती है। सशस्त्र सेनाओं द्वारा सभी स्टेशनों पर एक व्यापक सूचना, शिक्षा और सम्पर्क अभियान चलाया जाता है ताकि बचाव उपायों, प्रमुख रूप से सामाजिक दूरी के संदर्भ में जनता को जागरूक किया जा सके।

(घ): महामारी की शुरूआत में, सशस्त्र सेनाओं के सभी अस्पतालों को कोविड केयर के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण उपकरणों (वेंटीलेटर्स, ऑक्सीजन कानसेन्ट्रेटर्स, मल्टीपारा मॉनिटर्स, पीपीई, फेस मास्क, डिस्इफेक्टेंट्स सेनिटाइजर्स, हैण्डहेल्ड थर्मल मॉनिटर्स आदि) से सुसज्जित करने के लिए उपकरणों के आपूर्ति आर्डर जारी किए गए। तदोपरान्त मालेक्यूलर टेस्टिंग मशीनों और टेस्ट किटों की अधिप्राप्ति की गई और सशस्त्र सेना के अस्पतालों को इनकी आपूर्ति की गई। कोविड-19 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकाल्स की तर्ज पर, सशस्त्र सेना के अस्पतालों में एंटी वाइरल औषधियों (फेविपिराविर और रेमडेसीविर) और इम्यूनो-माडुलेटरी एजेंट्स (टोसिलिजुमाब प्रीडनिसोलोन आदि) की काफी व्यवस्था है। सशस्त्र सेनाओं के दो अस्पतालों में गम्भीर रूप से बीमार मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है।

(ड.): सशस्त्र सेनाओं के सभी अस्पताल कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित हैं।

(च): उपर्युक्त भाग (ड.) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता है।

*****